कार्यालय - (0551) 2340363
आवास - (0551) 2201507

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम अवश्य दिया जाय।

पत्रांक : 1532/सम्बद्धता/2006 दिनांक : 22.08.2006

सेवा में,

प्रबन्धक,
राम भरोसे पाण्डेय महिला महाविद्यालय
खजुहिया बाँसी,
सिद्धार्थनगर।

विषय : प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 12-07-2006 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	नाम प्रवक्ता	विषय
1-	डा० विश्वम्भर नाथ पाण्डेय (सेवानिवृत्त)	प्राचार्य
2-	कु० लता पाण्डेय	प्रवक्ता (हिन्दी)
3-	श्रीमती सुनीता त्रिपाठी	प्रवक्ता (समाजशास्त्र)
4-	डा० उपमा राय	प्रवक्ता (राजनीतिशास्त्र)
5-	डा० सबीहा नुजहत फातमा	प्रवक्ता (गृहविज्ञान)
6-	श्रीमती पूनम पाठक	प्रवक्ता (इतिहास)
7-	डा० दशरथ	प्रवक्ता (भूगोल)

2. महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप संविदा पर करके, संविदा की एक प्रति एवं नियुक्त प्रवक्ताओं के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षकों को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक द्वारा ही वेतन भुगतान किया जाय।

4. प्रवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के अन्तर्गत रोस्टर भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

22/08/06
उप कुलसचिव

संलग्नक : 1. शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक 11 मार्च, 2005 की प्रति।